पत्रांक–कारा/बजट–(मं0)–02–02/17–07

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)।

प्रेषक,

आनन्द किशोर,
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक,
मंडल कारा, गोपालगंज/बेतिया/खगड़िया/आरा/औरंगाबाद/
समस्तीपुर/सीतामढ़ी/नवादा/बिहारशरीफ/छपरा/हाजीपुर/
मधुबनी/सासाराम/बेगूसराय/फुलवारीशरीफ/दरभंगा/कटिहार/
मुंगेर/सहरसा/महिला मंडल कारा, भागलपुर/मधेपुरा/सीवान/
जहानाबाद/किशनगंज/अररिया/सुपौल/लखीसराय/जमुई/भभुआ/
बांका/शेखपुरा/शिवहर।

पटना, दिनांक...11.... अप्रैल, 2017।

विषयः–मांग सं0–22, मुख्य शीर्ष–2056 जेल, उप मुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष–101 जेल, उपशीर्ष–0002 जिला जेल के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में विभिन्न आकस्मिक मदों की निकासी हेतु ₹32,36,37,000 (बत्तीस करोड़ छत्तीस लाख सैंतीस हजार रूपये मात्र) का आवंटन।
विपत्र कोड–22-2056001010002

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक–ब–15/बी0एस0जी0–19/2017–428/वि0 दिनांक 31.03.17 एवं ज्ञाप संख्या–2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित राशि में से व्यय हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार प्रत्येक मंडल कारा के सामने अंकित राशि का आवंटन विभिन्न आकस्मिक मदों में स्वीकृत किया जाता है।

2. उक्त आवंटन की स्वीकृति मांग सं0–22, मुख्य शीर्ष–2056 जेल, लघु शीर्ष–101 जेल, उपशीर्ष–0002 जिला जेल (विपत्र कोड–22–2056001010002) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में बजट उपबंधित राशि के अंतर्गत दी जा रही है।

3. इस आवंटन के अंतर्गत किये जाने वाले व्यय में, बिहार वित्तीय नियमावली, बिहार वित्तीय नियमावली 2005 (संशोधित) एवं इनके अंतर्गत निर्गत समस्त नियमों, अनुदेशों तथा वित्त विभाग के ज्ञाप सं0–2561/ वि0(2) दिनांक–17.04.1998 में निहित अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा आवंटित राशि के व्यय पर कठोर नियंत्रण रखने, मितव्ययिता बरतने तथा वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु वित्त विभाग सहित विभागीय आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. इस राशि का विकलन मांग सं0–22, मुख्य शीर्ष–2056 जेल, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101 जेल, उपशीर्ष–0002 जिला जेल के तहत होगा। काराधीक्षक को निदेश दिया जाता है कि विपत्रों पर मांग संख्या–22 विपत्र कोड–22–2056001010002 में अंकित कूट संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाय, अन्यथा संबंधित कोषागार द्वारा विपत्रों को पारित नहीं किया जायेगा। इसका अनुपालन सख्ती से किया जाय।

5. सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थानों को भुगतान में प्राथमिकता दी जाय।

6. प्रत्येक मद में आवंटित राशि से अधिक का व्यय किसी भी परिस्थिति में न किया जाय तथा एक मद से दूसरे मद में राशि का विचलन नहीं किया जाय।

7. सामग्री एवं पूर्तियाँ/आहार/पथ्य मद में आवंटित की जाने वाली राशि से प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम जिन कारा निर्माणशालाओं से सामग्रियों/खाद्य पदार्थों का उठाव किया गया है, उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। निर्माणशाला में उत्पादित सामग्री/खाद्य पदार्थ का क्रय किसी भी परिस्थिति में बाजार/आपूरक/अन्य एजेंसी से नहीं किया जाएगा।

चन्द्रदेव राम मो. जमालुद्दीन अंसारी। राम गति सिंह
प्र0पदा0 उप निदेशक (बजट)

8. कारा निर्माणशाला से निर्मित होने वाले सामग्रियों का क्रय उक्त कारा से ही किया जाएगा अथवा किया गया है, और किसी अन्य स्रोत से उनका क्रय नहीं किया गया है, इस आशय का प्रमाण पत्र संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विपत्र पर अंकित करेंगे। साथ ही काराधीक्षक विभागीय पत्रांक 1395 दिनांक–03.03.2015 एवं 3804 दिनांक 26.06.2008 के शत प्रतिशत अनुपालन हेतु उत्तरदायी होंगे।

9. वर्तमान आवंटन कारा निरीक्षणालय में प्राप्त/अद्यतन संधारित बंदी संख्या के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। काराओं में संसीमित वास्तविक बंदी संख्या एवं क्रय समितियों द्वारा अनुमोदित दर के अधीन ही संगत मदों में राशि का नियमानुसार व्यय किया जायेगा। यदि किसी मद में राशि की बचत संभावित होती है तो ससमय प्रत्यर्पित कर दिया जायेगा। यदि अतिरिक्त राशि की आवश्यकता संभावित है तो पूर्ण औचित्य सहित ससमय अधियाचना प्रस्तुत किया जायेगा। स्पष्ट औचित्य के बिना प्राप्त अधियाचना विचारित नहीं की जायेगी।

10. प्रत्येक माह की 10 (दस) तारीख तक मासिक व्यय की ईकाईवार विवरणी टी.भी. नम्बर के साथ अनिवार्य रूप से निरीक्षणालय में उपलब्ध करा दिया जाय। व्यय विवरणी में पूर्व माह का व्यय, वर्त्तमान माह का व्यय एवं कुल अद्यतन व्यय का उल्लेख अवश्य किया जाय। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बरतने अथवा विलम्ब होने पर इसे वित्तीय अनियमितता मानते हुए आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है।

विश्वासभाजन

चन्द्रदेव राम मो. जमालुद्दीन अंसारी। राम गति सिं

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– कारा/बजट–(मं0)–02–02/17–07 पटना, दिनांक..11....अप्रैल, 2017।

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

चन्द्रदेव राम मो. जमालुद्दीन अंसारी। राम गति सिं

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– कारा/बजट–(मं0)–02–02/17–07 पटना, दिनांक..11....अप्रैल, 2017।

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

चन्द्रदेव राम मो. जमालुद्दीन अंसारी। राम गति सिं

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– कारा/बजट–(मं0)–02–02/17–07 पटना, दिनांक....11.अप्रैल, 2017।

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

चन्द्रदेव राम मो. जमालुद्दीन अंसारी। राम गति सिं

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– कारा/बजट–(मं0)–02–02/17–07 पटना, दिनांक....11.अप्रैल, 2017।

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

चन्द्रदेव राम मो. जमालुद्दीन अंसारी। राम गति सिं

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।